



संख्या : / जी०एस०(शिक्षा) / A3-139 / 2022

प्रेषक,

डा० रंजीत कुमार सिन्हा,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमारुँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड

देहरादून दिनांक 21 नवम्बर, 2022

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या : 677, दिनांक 21 सितम्बर, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें श्री गुरुनानक देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नानकमत्ता साहिब, (अल्पसंख्यक संस्थान) ऊधमसिंहनगर को बी०ए० पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37(2) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा० कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
01	श्री गुरुनानक देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नानकमत्ता साहिब, (अल्पसंख्यक संस्थान) ऊधम सिंह नगर।	बी०ए० (हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, संस्कृत, गृह विज्ञान, शिक्षाशास्त्र, इतिहास एवं चित्रकला)	240 सीट	2020-21

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्यवाही की सूचना मा० कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध करायें।
- विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा Society Registration Act के अन्तर्गत निर्धारित Legal Obligation एवं Annual Balance Sheet के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित 02 माह के भीतर इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।
- यदि संस्थान द्वारा एक या एक से अधिक विश्वविद्यालयों से पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्राप्त की गई हो तो संस्थान द्वारा समस्त पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में पाठ्यक्रमानुसार मानक पूर्ण किये जाने विषयक आख्या सम्बन्धित विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय तद्विषयक आख्या इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।
- संस्थान में मानकानुसार भवन, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला पूर्ण कराने के साथ-साथ प्राभूति राशि के रूप में बंधक एफ०डी०आर० का नवीनीकरण करवाते हुए तत्सम्बन्धी अभिलेख आवश्यक रूप से इस सचिवालय को उपलब्ध कराने का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

क्रमशः-

- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

भवदीय,


(डा० रंजीत कुमार सिन्हा)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 3682(1)/जी०एस०(शिक्षा)/A3-139/2020-21 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य—श्री गुरुनानक देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नानकमत्ता साहिब, (अल्पसंख्यक संस्थान) ऊधमसिंहनगर।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,


(स्वाति एस० मदीरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।